

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 23/25

तारीख दायर 13/2/25

चन्द्रप्रकाश पुत्र तुलसीराम जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज0) —प्रार्थी

बनाम

- 1- कन्हैयालाल पुत्र तुलसीराम जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- बाबुलाल पुत्र तुलसीराम जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- शिव पुत्र नन्दलाल जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 4- बसन्तीलाल पुत्र तुलसीराम जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 5- मयंक पुत्र बसन्तीलाल जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 6- राजेन्द्र कुमार पुत्र तुलसीराम जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 7- मु-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) —विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक :- 14/8/25

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री चन्द्रप्रकाश ने जरिये अभिभाषक सुमित जोशी, जसवन्त सिंह सोलंकी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम बिजौलियाँ कलां पटवार क्षेत्र बिजौलियाँ कलां मु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 602 आराजी नंबर 2043/876, 874, 875, 878, 879, 880, 882, 883 कुल किता 8 रकबा 1.5621 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की तार्दिद में शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम बिजौलियाँ कलां पटवार क्षेत्र बिजौलियाँ कलां मु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 602 आराजी नंबर 2043/876, 874, 875, 878, 879, 880, 882, 883 कुल किता 8 रकबा 1.5621 हैक्टेयर भूमि की बशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोश में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे। प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों। आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 22/25

तारीख दायर 19/2/25

प्रेषित :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 22/25 पत्थरगढी बाबत।

चन्द्रप्रकाश पुत्र तुलसीराम जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज0) —प्रार्थी

बनाम

- 1- कन्हैयालाल पुत्र तुलसीराम जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- बाबुलाल पुत्र तुलसीराम जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- शिव पुत्र नन्दलाल जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 4- बसन्तीलाल पुत्र तुलसीराम जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 5- मयंक पुत्र बसन्तीलाल जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 6- राजेन्द्र कुमार पुत्र तुलसीराम जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 7- भु-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) —विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम बिजौलियाँ कलां पटवार क्षेत्र बिजौलियाँ कलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 602 आराजी नंबर 2043/876, 874, 875, 878, 879, 880, 882, 883 कुल किता 8 रकबा 1.5621 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



3
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ